न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 132/2015
दायर दिनांक – 03/08/2015
निर्णय दिनांक – 22/05/2018

अनवान

1. भुरा पिता चतरा भील निवासी ढिली का खेडा तह0– रेलमगरा

वादी

बनाम

1. बाबुलाल पिता जेता भील निवासी कोठारिया, तह0 – नाथद्वारा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा
3. मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक ब्रान्च कोठारिया

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम ढिली का खेडा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2068–71 की आराजी संख्या 1925/418 रकबा 04–15 बीघा भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज होकर अविभाजित भूमि है जिसमें 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज होकर शेष 3/4 हिस्सा वादी के नाम पर दर्ज है तथा मौके पर पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 अलग–अलग हिस्सों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादी बार – बार वादी के हिस्से पर भी अतिक्रमण कर उसे अविभाजित भूमि होने से परेशान करता रहता है जिससे उक्त भूमि का कब्जे अनुसार विभाजन कराया जाकर रेकार्ड में दर्ज अनुसार हिस्से का पूर्ण आधिपत्य वादी प्राप्त करने का अधिकारी है जिसके लिये उक्त वाद पत्र प्रस्तुत है। उक्त वर्णित भूमि अविभाजित भूमि होने से भूमि का विकास एवं लगान आदि जमा कराने की दृष्टि से भी काफी परेशानीयां उत्पन्न होती है जिससे भूमि के विकास, लगान आदि जमा कराने की सुविधा की दृष्टि से विभाजन कराया जाना आवश्यक है जिससे उक्त वाद पत्र आप न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विभाजन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 वादी के स्वतंत्र आधिपत्य की उक्त भूमि के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा, हस्तक्षेप, दखलन्दाजी कारित नही करे इसके लिये प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विधिवत हिस्सेनुसार एवं कब्जे अनुसार विभाजन कराये जाने बाबत् प्रतिवादी संख्या 01 को कहा गया तो उसके द्वारा आज से 10 दिन पूर्व इंकार कर दिया जिससे वादी का वाद हेतु 10 दिन पूर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 03 के यहां प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा रहन दर्ज होने से उन्हे भी संभावित आपत्ति के निराकरण हेतु बैंक को वाद में आवश्यक पक्षकार के रूप में जोडा गया है वादी बैंक के विरूद्व कोई दाद नही चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 02 भूमिधारक राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से एवं विभाजन की सहायता चाही जाने से उन्हे भी वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरूद्व भी वादी कोई दाद नही चाहता है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि ग्राम ढिली का खेडा की आराजी संख्या 1925/418 रकबा 04–15 बीघा का हिस्से अनुसार एवं कब्जे अनुसार विभाजन फरमाया जाकर वादी का स्वतन्त्र आधिपत्य दिलाया जावें एवं वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में स्वतन्त्र अंकन फरमाया जाकर तद्नुसार विभाजन की प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावें

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 02 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि भूमि राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है लेकिन मौके पर हिस्से अनुसार विभाजन कर रखा है। प्रतिवादी द्वारा वादी के हिस्से पर कोई अतिक्रमण नही किया जा रहा है। वादपत्र की कलम संख्या 03 के विवरण में निवेदन है कि मौके पर आपसी विभाजन कर रखा है लेकिन कब्जे अनुसार विभाजन कर दिया जावें तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। वादपत्र की कलम संख्या 04 व 05 के विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 06, 07, 08 के विवरण में जवाब की आवश्यकता नही है। वादपत्र की कलम संख्या 09 के विवरण में वादी की प्रार्थना अस्वीकार है। विशेष कथन के अनुसार वादी मानने के लिए तैयार हो तो वाद पत्र डिक्री किया जावें। विशेष कथन किया है कि आराजी संख्या 1925/418 रकबा 04–15 बीघा भूमि का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी द्वारा वादी से

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

दिनांक 07.03.2007 को कय किया। वादी द्वारा उक्त भूमि का हिस्सा विकय करने के पश्चात् पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित किया गया, जिसमें उक्त आराजियात में से 1/4 हिस्से निम्न पडौसों में भूमि का विकय कर कब्जा सिपुर्द किया। जिसमें पडोस पूर्व में रास्ता, पश्चिम में मुझ प्रथम पक्षकार (वादी) के नाम इस नम्बर की जमीन, उत्तर में प्रथम पक्षकार (वादी) के शेष भूमि इस नम्बर की, दक्षिण में मोहन पिता पोखर भील द्वारा द्वितीय पक्षकार (प्रतिवादी) को विकय कर पंजीयन कराया वो जमीन है। उक्त पडोसों के मध्य भूमि का कब्जा वादी ने प्रतिवादी का सिपूर्द किया। इसी आराजियात पर पूर्व दिशा की तरफ कुआ खुदा हुआ है जो राजस्व रेकार्ड में अंकन नही है उसमें भी प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है और कुआ प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में स्थिति है। अर्थात् आराजी संख्या 1925/418 के पूर्व दिशा की तरफ का हिस्सा प्रतिवादी ने कय किया है और इसी पर प्रतिवादी का कब्जा है। एवं आराजी संख्या 1924/420 के उत्तर दिशा की तरफ और उक्त पडौसों के मध्य भूमि पर प्रतिवादी का आधिपत्य एवं स्वामित्व है। इसलिए उपरोक्त पडौसों के मध्य की भूमि प्रतिवादी के हिस्से में रखी जाकर विभाजन कर दिया जावें तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। आराजी संख्या 1925/418 पर वादी द्वारा नवीन चाहा (कुआ) खुदवाया उक्त कुआ राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है इसलिए दिनांक 23.06.2012 को वादी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में एक विकय ईकरार पत्र निष्पादित किया गया। विकय ईकरार पत्र के अनुसार कुए का 1/2 हिस्सा वादी ने प्रतिवादी को विकय किया। कुए के आधे हिस्से पर स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रतिवादी का होकर प्रतिवादी उपयोग उपभोग निरन्तर निर्वध्न करता चला आ रहा है लेकिन वादी ने उक्त ईकरार की पालना नही की जिससे प्रतिवादी द्वारा एक वाद माननीय सिविल न्यायालय रेलमगरा में प्रस्तुत किया जिसके अनुवाद 47/15 ई.दी है। जो जैर पेण्डिग है। अतः प्रार्थना है कि जवाब दावे की विशेष कथन की कलम संख्या 01 के अनुसार कब्जे को मध्य नजर रखते हुए विभाजन किया जावें तो प्रतिवादी को आपत्ति नही है। पत्रावली वादी के साक्ष्य में नियत थी कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत बनेडिया पर आयोजित शिविर में पत्रावली को रखा गया। दौराने शिविर वादी एवं प्रविवादी संख्या 01 उपस्थित हुये जिन्हे लोक अदालत की भावना से समझाईश करने पर पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन किया जाने का प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होकर तहसीलदार रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

द्वारा प्रस्तावित विभाजन पर सहमति व्यक्त की गई तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर पक्षकारान के मध्य निम्नांनुसार विभाजन किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	बाबुलाल पिता जेता भील सा. कोठारिया तह0– नाथद्वारा खातेदार	1925/418/1	01-04	0.60
	योग	**कुल किता – 1**	**01-04**	**0.60**
02	भूरा पिता चतरा भील सा. देह खातेदार	1925/418 मीन	03-11	1.78
	योग	**कुल किता – 1**	**03-11**	**1.78**

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक अंकन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। यदि किसी के हिस्से पर बैंक रहन हो तो पूर्वानुसार यथावत रहेगा। इसी अनुरुप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर लोक अदालत कैम्प मवारड़ी पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 132/2015

अनवान

वादी पक्ष :–

1. भुरालाल पिता चतरा भील निवासी ढिली का खेडा तह0 – रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. बाबूलाल पिता जेता भील निवासी कोठारिया तह0 नाथद्वारा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा
3. मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक ब्रान्च कोठारिया

दावा :–विभाजन
वादी की ओर से :–आर0एल0साहू
प्रतिवादी की ओर से :–पी0सी0खटीक

में इस आशय मे दिनांक 22/05/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तावति विभाजन पर सहमति व्यक्त की गई। तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर ग्राम ढिली का खेडा के आराजी संख्या 1925/418 रकबा 04–15 बीघा का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

क्र0स0	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	बाबूलाल पिता जेता भील सा.कोठारिया तह0 नाथद्वारा खातेदार	1925/418/1	01–04	0.60
	योग	**किता –01**	**01–04**	**0.60**
2	भूरा पिता चतरा भील सा0देह खातेदार	1925/418 मीन	03–11	1.78
	योग	**किता –01**	**03–11**	**1.78**

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड मे पृथक –पृथक अंकन हेतू तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 22/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम मोहर से जारी की गई।

(शक्ति सिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा